महत्वपूर्ण
सं.2207/नौ-7-12-34ए.क्यू./2012

प्रेषक,

प्रवीर कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1.समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-7

लखनऊ : दिनांक : 13 जुलाई, 2012

विषयः नगर निकाय सीमा के अन्तर्गत बिना लाइसेन्स के खुले आम मीट काटे जाने पर प्रतिबन्ध।

महोदय,

शासन में इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों के सीमान्तर्गत बिना लाइसेन्स के रिक्शा, ठेलों, गलियों, सड़क के किनारे तथा खुली दुकानों में मीट काटकर बेचा जा रहा है जिसके कारण शहरों में गन्दगी फैल रही है एवं गम्भीर बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है तथा संबंधित निकाय को राजस्व की क्षति भी हो रही है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निकायों की सीमान्तर्गत बिना लाइसेन्स के मीट काटने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि निकायों के अधीन रिक्शा, ठेलों, गलियों, सड़क के किनारे तथा खुली दुकानों में मीट काटकर बेचा न जाये। इसके लिये अपने स्तर से प्रभावी अनुश्रवण करते हुए इस निमित्त नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बंध में सूचना/विवरण निकाय की बेव साइट/नोटिस बोर्ड आदि पर प्रदर्शित की जाय। उनके द्वारा इस कार्य में शिथिलता बरते जाने पर उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने का कष्ट करें। यह भी निर्देशित किया जाता है कि यह सुनिश्चित किया जाय कि मीट की दुकानों के कारण शहरों में गन्दगी न फैले और उसके कारण गम्भीर बीमारी फैलने की सम्भावना न रहे।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,
13.7.12

(हरेन्द्र सिंह विष्ट)
अनु सचिव।

Aaftab-2